चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : मुख्य परीक्षा–2026 / 10084
दिनांक : 30.01.2026

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा (सत्र 2025–26) एवं केवल ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, की बैक पेपर परीक्षा की परीक्षायें माह फरवरी 2026 से प्रारम्भ करायी जानी प्रस्तावित हैं।

अतः समस्त वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संचालित संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** पर केवल ऑनलाईन माध्यम से भरने की अन्तिम तिथि 30.01.2026 निर्धारित की गयी थी। छात्र/छात्राओं के हित के दृष्टिगत ऑनलाईन फार्म भरने की तिथियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नानुसार विस्तारित की जाती है।

छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भिक तिथि	**15.01.2026**
छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने एवं ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	**05.02.2026**
छात्र/छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क रूपये 250/– के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	**08.02.2026**
छात्र/छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क रूपये 500/– के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	**11.02.2026**
सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये परीक्षा फार्म सत्यापित करने की अन्तिम तिथि	**14.02.2026**
सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	**16.02.2026**

महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

1. **समस्त अर्ह छात्र/छात्रायें व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य/एक्स/बैक पेपर परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध समस्त सम्बन्धित नियमों/प्रवेश नियमावली/विषय कोड पुस्तिका का भली–भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।**
2. **ऐसे छात्र/छात्रा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रथम बार प्रवेश/पंजीकरण करवा रहे है, के माईग्रेशन प्रमाण पत्र, नामांकन प्रपत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा प्रेषित किये जायेगे। परीक्षा फार्म के साथ माईग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाये।**
3. **महाविद्यालय विश्वविद्यालय पत्र संख्या : परीक्षा/डी0आर0/9163, दिनांक 27.11.2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामांकित हो रहे छात्रों का नामांकन प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करेंगे। नियम का अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों का परीक्षा परिणाम निर्गत नहीं किया जायेगा।**
4. **विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ पूर्ण दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।**

5. ऐसे छात्र जो मुख्य परीक्षा–2025 में सम्मिलित हुये थे एवं बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह हैं, को भी उपर्युक्त तिथियों में बैक पेपर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्राप्त होगी।
6. ध्यान रहे वार्षिक परीक्षा प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में री–बैक अनुमन्य नहीं है। इसलिए वर्ष 2025 से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित एवं एक बार बैक पेपर परीक्षा का अवसर प्राप्त कर चुके परीक्षार्थियों को बैक पेपर परीक्षा फार्म भरना अनुमत नहीं होगा।
7. महाविद्यालयों से अनुरोध है कि परीक्षार्थियों की अर्हता एवं विषय कोड इत्यादि की गहन जाँच करने के पश्चात ही परीक्षा फार्म सत्यापित करें। प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद विषय कोड परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
8. स्नातक स्तरीय संस्थागत **B.A./B.Sc./B.Com.** पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से **NEP-2020** सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। अतः वार्षिक प्रणाली के सन्दर्भित पाठ्यक्रमों में केवल सत्र 2020–21 एवं उससे पूर्व प्रविष्ट छात्र ही अर्हतानुसार परीक्षा फार्म भरने हेतु अनुमत होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्व महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली–भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वयैक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. उप कुलसचिव/प्रभारी–अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के पंजीकरण/परीक्षा फार्मो को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13. गार्डफाईल।

उप कुलसचिव (परीक्षा)